फर्द अहकाम

मनोज चौधरी बनाम गीता देवी वगै0

[...]ा पत्र संख्याः 127/2024

[...]ा	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.05.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉं पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब पेश होने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा भू0अ0नि0क्षे0 शिकारपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 185 में खसरा नम्बर 156 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 31.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 2897-2900 23/5/24
	31/5/24 31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। इन्तजार तामील हेतु पत्रावली दिनांक 5/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	26/6/24	पत्रावली मुलतवी से [illegible] प्रार्थना पत्र पेश [illegible] होने पर तलब [illegible] प्रार्थना पत्र के आधार पर [illegible] [illegible] [illegible] कोई औचित्य नहीं [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	मनोज चौधरी Identified By Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:25:15 IST
Reason: SelfAttested